राजीव कुमार दीक्षित
अर्थ नियंत्रक एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर - २०८ ००२
फोन : ५४०५६१ (कार्यालय)
पी०बी०एक्स० : २६४६४१-४५ (१७३)

१-	कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	अध्यक्ष
२-	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
३-	सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
४-	सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ	सदस्य
५-	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
६-	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
७-	डा० बी०एस०हंसरा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली	सदस्य
८-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक, १५/५०- सिविल लाइन्स, कानपुर	सदस्य
९-	श्री आसिफ अली खॉ, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, शाहाबाद, हरदोई	सदस्य
१०-	डा० रमेश यादव, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, ८ विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	सदस्य
११-	प्रोफेसर एस०एम०ए० रिजवी, बी०-१/४ बाल्दा रोड कालोनी, निशातगंज, लखनऊ	सदस्य
१२-	श्री सुखराम सिंह, सदस्य विधान परिषद, एच०आई०जी०-२६८, रतनलाल नगर, कानपुर।	सदस्य
१३-	श्री सतीश महाना, विधायक, ३ हरजिन्दर नगर, कानपुर नगर।	सदस्य

पत्रांक : सीएसयूपी/सी-३५६/बोर्ड-१२५/२००४ दिनांक : जून १०, २००४

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की १२५वीं बैठक जो दिनांक ०७-०६-२००४ को कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,
10.6.04
(आर० के० दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १२५वीं बैठक
का कार्यवृत्त

दिनांक : ०७.०६.२००४

समय : पूर्वान्ह ११.३० बजे

स्थान : कुलपति सभा कक्ष

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की १२५वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२

दिनांक : जून ०७, २००४
समय : पूर्वान्ह ११.३० बजे

उपस्थिति

१-	डा० पी० के० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
२-	श्री एम० देवराज, विशेष सचिव, कृषि, प्रतिनिधि सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
३-	श्री आर० पी० सिंह, विशेष सचिव वित्त, प्रतिनिधि सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
४-	प्रो० एस०एम०ए० रिजवी	सदस्य
५-	डा० रमेश यादव,	सदस्य
६-	श्री सुखराम सिंह यादव,	सदस्य
७-	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

१-	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
२-	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
३-	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
४-	डा० बी०एस०हन्सरा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
५-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक	सदस्य
६-	श्री सतीश महाना, विधायक	सदस्य
७-	श्री आसिफ अली खॉ	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०४.१२.२००३ को सम्पन्न हुई १२४वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने १२४वीं बैठक जो दिनांक ०४.१२.२००३ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १२४वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०४.१२.२००३ को सम्पन्न हुई १२४वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही पर सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की गयी।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये कि भारतीय सैन्य अधिकारियों द्वारा गुरसहॉयगंज प्रक्षेत्र को अधिग्रहित करने के कारण शासनादेश संख्या २०७६(१)/५८-१-२००१ दिनांक ३१ मई २००३ के पैरा नं० १ में उल्लिखित प्रावधान "रक्षा विभाग द्वारा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर अपने स्वामित्व का विवाद उठाया जाता है तो स्वामित्व प्रमाणित होने पर प्रतिकर का

भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा।'' के अनुसार राजस्व विभाग से धनराशि की मॉग की जाय या उद्यान विभाग से फार्म की मॉग की जाय।

मद संख्या ३

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में दस नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में दस नये कृषि विज्ञान केन्द्रों (कानपुर, मैनपुरी, महोबा, कन्नौज, इटावा, हरदोई, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, फिरोजाबाद)की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या ४

विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, अभियान्त्रिकी तथा अन्य संबंधित विज्ञान विषयों में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, अभियान्त्रिकी तथा अन्य संबंधित विज्ञान विषयों में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर अपनी सहमति प्रदान की। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये कि आगामी बैठक में उक्त पाठ्यक्रम की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाय।

मद संख्या ५

विश्वविद्यालय में पी०जी०डी०सी०ए०(POST GRADUTE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION) कोर्स शुरू करने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में पी०जी०डी०सी०ए० (POST GRADUTE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION) कोर्स शुरू करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या ६

कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत अर्ह शिक्षकों/वैज्ञानिकों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफे खोलकर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या ७

डा० एस०एल० कटियार, प्राध्यापक/ज्वार एवं चारा अभिजनक, पादप प्रजनन एवं अनुवांशकीय विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-२७ के अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रस्ताव पर विचार किया एवं प्रो० एस०एम०ए० रिजवी, को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा -२७ के अर्न्तगत गठित माध्यस्थम अधिकरण (Tribunal of Arbitration) में प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित किया।

मद संख्या ८

डा० आर० एन० चतुर्वेदी, पूर्व सलाहकार, कृषि व्यवसाय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग में पी-एच० डी० प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को रू० एक लाख के ब्याज से फैलोशिप स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० आर० एन० चतुर्वेदी, द्वारा दी गयी धनराशि रू० १.०० लाख (एक लाख) के द्वारा कृषि अर्थशास्त्र विभाग में पी-एच०डी० प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले को फैलोशिप देने पर स्वीकृति प्रदान की। समिति ने यह भी निर्देश दिये कि धनराशि रू० एक लाख दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष के लिए बैंक में सावधि खाते में जमा की जाय।

मद संख्या ९

डा० ओमवीर सिंह, सह प्रशिक्षक (उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र, मथुरा (जो अब उ०प्र० पं० दीन दयाल पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के अधीन हो गया है) का २ वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० ओमवीर सिंह, सह प्रशिक्षक (उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र, मथुरा (जो अब उ०प्र० पं० दीन दयाल पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के अधीन हो गया है) का २ वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि डा० सिंह को दिनांक ६.१.२००४ से ३१.३.२००४ तक का धारणाधिकार सुरक्षित रखने पर सहमति प्रदान की। दिनांक १.४.२००४ से कृषि विज्ञान केन्द्र मथुरा पं० दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधीन स्थानान्तरित हो गया है अतः शेष अवधि १.४.२००४ से दिनांक ५.१०.२००६ तक के धारणाधिकार पर निर्णय लेने हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा को प्रकरण संदर्भित कर दिया जाय।

मद संख्या १०

डा० पी०के० तिवारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक-नार्प परियोजना, भरारी, झाँसी को उनके द्वारा उपभोग किए गए १७६ दिन (दिनांक ०१-०१-२००३ से २८-६-२००३) तक का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक २६-६-२००३ का रविवारीय सार्वजनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० पी०के० तिवारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक-नार्प परियोजना, भरारी, झाँसी को उनके द्वारा उपभोग किए गए १७६ दिन (दिनांक ०१-०१-२००३ से २८-६-२००३) तक का उपार्जित अवकाश तथा दिनांक २६-६-२००३ का रविवारीय सार्वजनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या ११

वित्तीय वर्ष २००३-०४ में विश्वविद्यालय को अन्तिम तीन माह हेतु स्वीकृत अनुदान को व्यय हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शासनादेश संख्या ३३२०/६७-कृ०शि०अ०-०३-१५००(७२)/०३ दिनाँक १६ जनवरी, २००४ द्वारा विश्वविद्यालय को आयोजनेत्तर पक्ष में स्वीकृत अनुदान के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या १२

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को सम्बन्धित अवमाननावादों के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य आकस्मिकता निधि से रु० ८८.८२ लाख की स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शासनादेश संख्या २८४/६७कृ०शि०अ० ०४-३०(२३)/६६ दिनाँक २६ जनवरी, २००४ के द्वारा वित्तीय वर्ष २००३-०४ में रु० ८८,८२,०००.०० (रुपया अठ्ठासी लाख बयासी हजार) मात्र की स्वीकृत धनराशि को व्यय करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या १३

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सहायता के डेवलपमेंट एण्ड स्ट्रेन्थनिंग आफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के मद में द्वितीय छमाही धन रू० ११२.०० लाख वित्तीय वर्ष २००३-०४ के आवंटन तथा व्यय का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली के पत्र संख्या एफएन १२(२५)/२००२-ईपी एण्ड डी दिनांक ११.३.२००४ के द्वारा वर्ष २००३-०४ हेतु

केन्द्रीय सहायता के डेवलपमेंट एण्ड स्ट्रेन्थनिंग आफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के मद में रू० ११२.०० लाख की स्वीकृत धनराशि को व्यय करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या १४

वित्तीय वर्ष २००४-०५ में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान के व्यय का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शासनादेश संख्या ७७३/६७-कृ०शि०अ०-०३-१५००(१८१)/०३ दिनॉक अप्रैल २२, ०४ द्वारा आयेजनेत्तर पक्ष में स्वीकृत रू० २०५७.६६ लाख को व्यय करने पर सहमति प्रदान की।

मद संख्या १५

प्रसार कार्यों के सुदृढीकरण हेतु कृषि ज्ञान केन्द्र एटा (आयोजनागत पक्ष) मे वित्तीय वर्ष २००४-०५ अनुदान के व्यय का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शासनादेश संख्या ८६७/६७-कृ०शि०अ०-०३-१५००(१८१)/०३ दिनॉक २२ अप्रैल, २००४ द्वारा स्वीकृत रू० ५.०० लाख पर व्यय करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

मद संख्या १६

विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्ट की नियुक्ति पर अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया एवं निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में आर्किटेक्ट की नियुक्ति हेतु सामाचार पत्र में विज्ञापन देकर निश्चय किया जाय।

मद संख्या १७

पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए दो छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को विश्वविद्यालय में दो छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी कि निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अन्य एजेन्सियों से यह सहमति स्पष्ट रूप से प्राप्त कर ली जाय कि छात्रावासों के निर्माण के उपरान्त छात्रावासों पर स्वामित्व, प्रशासनिक नियत्रण विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा एवं छात्रावासों में इसी विश्वविद्यालय के छात्रों को आवंटन किया जायेगा तथा आवंटन का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का ही होगा। प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिये कि उक्त सहमति प्राप्त होने के बाद ही निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाय।

मद संख्या १८

वित्त उप समिति में प्रबन्ध मण्डल के सदस्य को नामित किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उपसमिति में प्रबन्ध मण्डल के एक गैर सरकारी सदस्य हेतु डा० रमेश यादव को नामित किया।

मद संख्या १९

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव ।

मद संख्या १९.१

शासनादेश दिनांक ७ फरवरी, २००० में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय XII में कैरियर एडवान्समेंट योजना के अधीन वैयक्तिक प्रौन्नति दिये जाने हेतु प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शिक्षकों की वैयक्तिक प्रौन्नति हेतु परिनियमावली के अध्याय XIII में उल्लिखित प्राविधान अध्याय XIII की धारा 1D के पश्चात् 1E के रूप में निम्न प्रावधान को समावेशित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

Personal Promotion to Teachers of University

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Adhiniyam, Pariniyam an Assistant Professor in the University appointed under chapter XIII or an Associate Professor in the University appointed under chapter XIII or promoted, who has put in such length of service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given personal promotion, respectively to the post of Associate Professor or Professor.
2. Such personal promotion shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under chapter XIII of the University statute, in such manner and subject to such condition as may be prescribed.
3. Nothing contained in this section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct appointment in accordance with the provisions of Chapter XIII of statute.

मद संख्या १६.२

डा० एस० पी० सिंह, सह प्राध्यापक, एनीमल न्यूट्रीशन, शोध निदेशालय द्वारा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल में की गयी सेवाओं को पेंशन गणना हेतु जोडे जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० एस० पी० सिंह, सह प्राध्यापक, एनीमल न्यूट्रीशन, शोध निदेशालय द्वारा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल में दिनांक २६.६.१६८४ से १२.१२.१६६१ तक की गयी सेवाओं को पेंशन गणना में जोडे जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या १६.३

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजना "डेवलपमेंट आफ क्वालिटी प्लान्ट मैटेरियल एण्ड आन फार्म टेस्टिंग आफ मेडिसिनल प्लान्ट" (Development of Quality Plant Material and on Farm Testing of Medicinal Plant) के क्रियान्वयन पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजना "डेवलपमेंट आफ क्वालिटी प्लान्ट मैटेरियल एण्ड आन फार्म टेस्टिंग आफ मेडिसिनल प्लान्ट" (Development of Quality Plant Material and on Farm Testing of Medicinal Plant) के क्रियान्वयन पर अपनी सहमति प्रदान की।

मद संख्या १६.४

श्री अनिल कुमार साहू, सह प्राध्यापक (सिविल इंजी०), बाबा साहब डा० भम राव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की नियुक्ति दिल्ली इंजी० कालेज, दिल्ली में सहायक प्राध्यापक, सिविल इंजीनियर (टेक्निकल) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री अनिल कुमार साहू, सह प्राध्यापक (सिविल इंजी०), बाबा साहब डा० भम राव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा की नियुक्ति दिल्ली इंजी० कालेज, दिल्ली में सहायक प्राध्यापक, सिविल इंजीनियर (टेक्निकल) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप दिनांक १.३.२००४ से २८.२.२००६ (२ वर्ष) का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या १६.५

विश्वविद्यालय की विषम वित्तीय स्थिति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने अनुदान से अधिक व्यय की गयी धनराशि रू० ८६७.३४ लाख को संज्ञान में लिया एवं निर्देश दिये कि शासन स्तर पर धनराशि अवमुक्त कराने के प्रयास किये जायें। विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या १६.६

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित / चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये गये उपार्जित / चिकित्सावकाश पर निर्देश दिये कि जो कर्मचारी सौ दिन से अधिक के अवकाश पर रहे हैं उनपर क्या कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गयी, कर्मचारियों द्वारा क्या अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी थी, आगामी बैठक में सुपष्ट प्रस्ताव समस्त बिन्दुओं को समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या १६.७

राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापकों की अधिवर्षता आयु में बृद्धि किये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश दिनांक ४ फरवरी, २००४ के सापेक्ष चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत शिक्षकों की अधिवर्षता आयु में बृद्धि किये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने कार्यरत शिक्षकों की अधिवर्षता आयु ६० से ६२ वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

दिनांक : १० जून, २००४